


न्यायालय तहसीलदार राजाखेडा (धौलपुर)

निर्णय दिनांक 28.11.11


रिपोर्ट पटवारी हल्का सपापुर द्वारा प्रस्तुत की गई। प्रकरण राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर होकर अतिकमी को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 1.11.11 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई। आवाज लगवाई गई गैर सायल उपस्थित / अनुपस्थित रहा संक्षिप्त में विवरण निम्नप्रकार है कि पटवारी हल्का सपापुर द्वारा इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि गैर सायल यशराज पुत्र रघुनाथ कौम बाबू निवासी वसन्त तहसील राजाखेडा ने आराजी ख0न0 637/1 किस्म सोरा रकवा 2.0 बाके ग्राम वसन्त पर जोस्का की अतिकमण कर लिया है प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को जरिये नोटिस से तलब किया गया। गैर सायल उपस्थित / अनुपस्थित रहा। कोई सबूत व साक्ष्य पेश नहीं किया गया। तत्पश्चात रिपोर्ट पटवारी हल्का का अवलोकन किया तो पाया गया कि अतिचारी का अतिचार सिद्ध होता है।

अतः राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिचारी को उक्त आराजी से बेदखल किया जाता है शरह लगान 1.60 की 50 गुनी से शास्ति राशि 80 रूपये आरोपित की जाती है। भू0 अभिलेख निरीक्षक / पटवारी हल्का को लिखा जावे। टी0आर0ए0 का मास कायमी हेतु लिखा जाकर पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ़तर हो। निर्णय खुल न्यायालय सुनाया गया।


तहसीलदार
राजाखेडा

राशि 80
पत्र सं० 50
- हज़ की गई


TRA
राजाखेडा